

28/6/23

पत्रावली "प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2023" के अंतर्गत अणतपुर
में पेश हुई। वादी उपस्थित
हुआ। वादी ने प्रार्थना पत्र
पेश कर बाद विद्वों किसे जाने
हेतु निवेदन किया। वादी को
सुना गया एवं पत्रावली का
अवलोकन एवं मनन किया गया।
वादी की बहस एवं पत्रावली पर
उपलब्ध दस्तावेजों के आधार
पर प्रार्थना पत्र स्वीकार एवं
शा. मि. किया जाता है। वादी
के निवेदन एवं शर्जीनामों के
आधार पर बाद फौसल शुमार
होकर बाद तत्काल दारिबल
दफ्तर होने से अंतरिम
अस्थायी निवेद्या का कोई
औचित्य नहीं रह जाता है।
अतः पत्रावली फौसल शुमार
होकर बाद तत्काल दारिबल
दफ्तर होकर दर्ज नंबर से
रुम हो। तहसीलदार मिशनगढ़

श्रीवत्स

क्र. सं.	दिनांक आशा या कार्यवाही	आज्ञा विरचन रूप से	विशेष
		<p>बैनवाल को पृथक् से तहरीर जारी हो। निर्णय "प्रशासन गाँवों के संग अमियान २०२३" के अणतपुरा में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।</p> <p style="text-align: center;">(मना)</p>	<p>विशेष</p> <p>पालय</p> <p>मा सं</p>